5.10.2023

वकील भार्गी उप०। इस प्रा०पत्र से सम्बंधित मूल वाद में निर्णय सुनाया जा चुका है अब इस प्रा०पत्र में आगे कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं रहा है। अत: प्रा०पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के संलग्न है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.30 14:01:07 IST
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधि...
नीमकाथाना (...)